<u>कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर</u>

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

पुलिस व गौतस्करों में मुठभेड, एक गौतस्कर को गिरफ्तार कर 12 गौवंशों को कराया मुक्त

अवैध कट्टा व कारतूस, 10 लीटर शराब तथा टाटा को किया जप्त

जयपुर 11 अप्रेल। जिला भरतपुर के थाना कैथवाडा ने आज मंगलवार को गस्त के दौरान जरिये मुखविर सूचना पर एक गाडी टाटा 407 बीना नम्बरी में भरी 12 गौवंशों को मुक्त करा कर, एक अवैध कट्टा व कारतूस, 10 लीटर शराब तथा टाटा को जप्त करने तथा एक गौतस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि 11 अप्रेल,2017 को सुबह श्री देवेन्द्रसिंह हैड कानि0 मय जाप्ता को गस्त के दौरान जरिये मुखविर सूचना मिली कि कुछ गौतस्कर गायों को एक चोरी की टाटा 407 बिना नम्बरी गाडी में भरकर गांव ककराला की तरफ से हरियाणा की तरफ गौकसी के लिए ले जा रहे हैं।

श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि उक्त सूचना पर हैड कानि0 मय जाप्ता ने धर्मशाला मोड पहुँचकर नाकाबन्दी की गई तो मुखविर के बताये अनुसार एक टाटा 407 बिना नम्बरी आती हुई दिखाई दी। जिसे रोकने का ईशारा किया तो गौतस्कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से अंधाधुन्ध फायर करते हुये नाकाबन्दी को तोडकर गाडी को भागा ले गये। इस पर पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ के लिए 2 राउण्ड हवाई फायर किये।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने गाडी का पीछा किया तो गौतस्कर अपने आपको घिरा देख बाड चौराहे पर गाडी को छोड कर भागने लेगे। जिनका पीछा कर पुलिस ने एक गौतस्कर **इरशाद पुत्र हुरमत उर्फ तुर्री जाति मेव निवासी उटावड थाना वहीम जिला**

नूँहमेवात हरियाणा को पकड लिया व इसके 2 साथी गौतस्कर काडा उर्फ हाशम पुत्र दीनू जाति मेव निवासी कनवाडी थाना पहाडी व मुस्ताक पुत्र अमरूद्दीन जाति फकीर निवासी थून थाना नगर अन्धेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गये।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने पकडे गये गौतस्कर की तलाशी में कब्जे से 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय 1 जिन्दा व 2 खाली कारतूस मिले तथा गाडी की तलाशी में गाडी में 5 बछडा व 7 गाय (कुल 12 गौवंश) भरे हुये मिले एवं गाडी के केबिन में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब मिली। गाडी के इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर घिसे हुये थे। पुलिस द्वारा गौवंशों को मुक्त कराकर गौशाला के सुपुर्द किया जाकर थाना पर प्रकरण पंजीबद्व कर फरार गौतस्करों की तलाश जारी है।

राही/सन्तरा/301/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

भिवाडी में पटेल किराना स्टोर मालिक पर गोली चलाने की घटना का पर्दाफाश
मुख्य आरोपी विनोद पांचाल को किया गिरफ्तार

जयपुर 11 अप्रेल। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाकर विशेष टीमों का गठन किया था। जिस पर थाना भिवाडी ने 11 अप्रेल,2017 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाडी श्री राजेन्द्र प्रसाद खौथ व वृताधिकारी वृत भिवाडी श्री सिद्धान्त शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी भिवाडी, फेज तृतिय, चौपानकी, टपूकडा की चार टीमों ने आरोपी विनोद पांचाल पुत्र नरोतमदास जाति लुहार उम्र 36

साल निवासी पल्ला नम्बर 3 मकान नम्बर 42 ख्वाजा सराय थाना ख्वाजा सराय जिला फरीदाबाद हाल जेल भौडसी जिला गुडगाँवा से प्रोडेक्शन वारन्ट पर लिया जाकर गहनता से पूछताछ की जा रही है।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि अन्य आरोपी सचिन पांचाल पुत्र देवेन्द्र जाति लहार, कल्लु उर्फ योगेन्द्र रपुत्र मुलचन्द जाति कोली, विनोद पुत्र सुरज जाति गुर्जर, सुरेश उर्फ गुड्डू पुत्र हरदेव जाति जाट तथा धर्मेन्द्र पुत्र शहजनाथ जाति ठाकुर के रूप में पहचान हुई। सचिन पांचाल व कल्लू उर्फ योगेन्द्र जो अलवर जेल में हत्या के आरोप में बन्द है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 8 अप्रेल,2017 को रात को भिवाडी में पटेल किराना स्टोर दुकान मालिक मनोज कुमार उर्फ लाला जो अपनी दुकान पर था तब उस समय दो अज्ञात बदमाश मोटर साईकिल पर आये जिन्होंने मनोज उर्फ लाला को जान से मारने की नियत से फायरीग की गई जिस पर एक गोली मनोज कुमार की दायी आँख के नीचे लगी।

उन्होंने बताया कि पूर्व का अपराधिक इतिहास इस प्रकार है विनोद पांचाल पुत्र नरोतमदास जाति लुहार जेल भौडसी जिला गुडगाँवाने सर्वप्रथम वर्ष 2001 में अनन्नतपुर गैग के गुर्जरों के साथ स्वंय व अपने साथी श्यामा, पिल्लू , कालु उर्फ प्रेमचन्द द्वारा मारपीट की जिसका थाना ख्वाजा सराय थाना में अभियोग पजिबद्व होना बताया। उक्त विनोद पांचाल के करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज है, जिनमे वर्ष 2004 में दो व्यक्तियों की हत्या स्वंय व अपने साथी धर्मेन्द्र व सोनू, कालू उर्फ प्रेमचन्द, जोगेन्द्र ने मिलकर आपसी गैंगवार में हत्या करना व वर्ष 2008 में स्वंय व अपने साथी सुरेश उर्फ गुड्डू रमेश सुन्दर रोहीत महेश राजपाल रजनीश उर्फ लुढा व नरेश के साथ मिलकर गुजरान गाँव के व्यक्तियों पर पुन्हाना थाना क्षेत्र में गोली मारकर एक करोड पन्द्रह लाख रूपये की लुट की जिसमें दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी एवं वर्ष 2014 में स्वयं तथा सचिन सोनू कल्लू उर्फ योगेन्द्र ने सैक्टर सात में महेन्द्र गुर्जर की हत्या की गई उक्त गैंग का मुख्या सरगना विनोद पांचाल है, इनके द्वारा कुल पाँच हत्याये एवं दो पट्रौल पम्प के कर्मचारीयों के गोली मारकर कैस लूट के एवं गोली मारकर हत्या के प्रयास के प्रकरण दर्ज है। मुल्जिम विनोद पांचाल ने अधिकांश अभियोगों में स्वं व अपनी गैंग द्वारा गवाहान को जान से मारने की घमकी देकर गवाही अपने पक्ष मे करवाना बताया है । इसी साजिस के तहत उक्त घटना क्रम को स्वंय के दिशा निर्देशन में गवाहान को स्वंय व अपने साथियो के खिलाफ ठोस गवाही नहीं देने के क्रम में करवाना बताया है।

श्री प्रकाश ने बताया कि सचिन पांचाल पुत्र देवेन्द्र जाति लुहार निवासी मकान नम्बर 551 नजदीक बजरंग चौक सैक्ट 37 थाना ख्वाजा सराय फरीदाबाद हरीयाणा के खिलाफ जो उक्त विनोद पांचाल के खिलाफ अभियोग दर्ज है जिन में अधिकांश में शरीक होना पाया गया है ।

उन्होंने बताया कि योगेन्दर उर्फ कल्लू पुत्र मुलचन्द, सुरेश उर्फ गुड्डू पुत्र हरदेव तथा धर्मेन्द्र पुत्र शहजनाथ जाति ठाकुर के खिलाफ जो उक्त विनोद पांचाल के खिलाफ अभियोग दर्ज है जिन में अधिकांश में शरीक होना पाया गया है । और विनोद पुत्र सुरज जाति गुर्जर निवासी नाँगलिया थाना भिवाडी के खिलाफ करीब एक दर्जन मुकदमें हत्या के प्रयास व मारपीट अवैध चोथ वसुली व अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज है ।

तरीका वारदात अब तक की पुछताछ मे सामने आया है की मुल्जिमानद्वारा अवैध हथियारो से सीधे ही गोली मारकर हत्या करने या हत्या का प्रयास कर लुट करने व सगीन मुकदमों में गवाहो को डराने घमकाने व जान से मारने के लिये गोली मारना।

राही/सन्तरा/302/2017
नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।